भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2667
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- एमएसपी में सुधार

2667. श्री जय प्रकाशः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली के दायरे, प्रभावशीलता तथा क्षेत्रीय विषमताओं के संबंध में कोई व्यापक समीक्षा की है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उन फसलों और राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां एमएसपी के अंतर्गत खरीद उत्पादन की तुलना में काफी कम रही है तथा इसके क्या कारण हैं; और
(ग) एमएसपी व्यवस्था के अंतर्गत पारदर्शिता, दक्षता तथा समय पर भुगतान में सुधार करने के लिए क्या नीतिगत उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में, एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की है।

कुल उत्पादन में से, सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए केवल विपणन योग्य अधिशेष ही उपलब्ध होता है, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाता है। सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की व्यापक योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, दिशानिर्देशों के अनुसार, तब की जाती है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) खरीद एजेंसियां हैं। कपास और पटसन की खरीद भी सरकार द्वारा क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन आदि जैसी अन्य लॉजिस्टिक्स/इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं।

खरीद प्रक्रिया एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है और पिछले कुछ वर्षों में, एमएसपी के तहत खरीद प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि किसानों के बैंक खाते में सीधे एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और राज्यों के खरीद पोर्टलों के साथ आधार और भूमि अभिलेखों को जोड़ने से यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को एमएसपी खरीद का लाभ सीधे मिले।

नेशनल इंस्टिस्यूशन फॉर ट्रांसेफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) ने "किसानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावकारिता" शीर्षक से 2016 में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 14 राज्य, 36 जिले, 72 ब्लॉक, 144 गाँव और 1440 परिवार शामिल थे। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों प्रकार के आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ पाया गया है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अध्ययन में शामिल 78% किसान उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कटाई की उन्नत विधियों आदि जैसी उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं।

बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसान लाभान्वित हुए हैं जो कि खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि के आंकड़ों से स्पष्ट होता है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 (जून 2026 तक) के दौरान खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2023-24 से 2025-26 (जून 2026 तक) के दौरान की गई वर्षवार खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि

वर्ष	कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
2023-24	1089	2.63
2024-25	1214	3.45
2025-26	1276	3.77
